सं0-3/6183/62-2-2013-2/3(110)/2009टीसी

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर,2013

विषय- वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के आर0आई0डी0एफ0-15 के अन्तर्गत निर्मित सामुदायिक ब्लास्ट कूपों पर सिंचाई प्रणाली स्थापित कराये जाने के लिए स्प्रिकलर सिस्टम मय फिंटिग्र एवं एसेसरीज आई0एस0कोड-1451 (पार्ट-2)/2008, 12232(पार्ट-1)/1996 एवं 1239/1990 (यथासंशोधित के अन्तर्गत) के क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-31/ल0सिं0/भ0आ0/स्प्रिकलर/2013-14, दिनांक 02;12;2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उघोग अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-217एल/18-7-94-15(एस0पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 एवं शासनादेश सं0-711/18-7-98-15(एस0पी0)/97, दिनांक 19-5-1998 में दी गयी व्यवस्थानुसार गठित क्रय समिति द्वारा संस्तुंति दे दी गयी है। अत; आर0आई0डी0एफ0-15 के अन्तर्गत निर्मित 1571 ब्लास्ट कूपों पर सिंचाई प्रणाली स्थापित कराये जाने के लिए स्प्रिकलर सिस्टम मय फिंटिग् एवं एसेसरीज के लिए फर्मो से प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर मैसर्स रूंगटा इरीगे्शन लि0 गाजियाबाद से प्राप्त आईटमवार निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित दरों के आधार पर क्रय करने के उदेदश्य से श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते है:-

http://shasanadesh.up.nic.in

ITEM NO.	BRIEF DESCRIPTION OF THE ITEM	QTY.	Basic Rate Ex-works (Rs.)	Average freight anywhere in U.P. at their Central District Store (Rs.)	F.O.R. destination rates excluding VAT etc. (Rs.) (4)+(5)
1	2	3	4	5	6
1-	PIPE (EXCLUDING EXCISE DUTY, VAT AND ALL OTHER TAXES/LEVIES I.E. EX-WORK'S RATE)				
1(A)	90MM HDPE PIPE 3.2 KG/CM^2 WITH COUPLER (6 M. LENGTH), IS:14151 (PART-2)/ 2008 OR AMENDED, IF ANY.	282780 METER	103.00 PER M.	6.00 PER M.	109.00 PER M.
1(B)	75MM HDPE PIPE 3.2 KG/CM^2 WITH COUPLER (6 M. LENGTH), IS:14151 (PART-2)/ 2008 OR AMENDED, IF ANY.	169668 METER	77.00 PER M.	5.00 PER M.	82.00 PER M.
2-	FITTINGS & ACCESSORIES (EXCLUDING EXCISE DUTY, VAT AND ALL OTHER TAXES/LEVIES I.E. EX-WORK'S RATE)			25.00 PER SET	3624.00 PER SET
2(A)	90MM PUMP CONNECTING NIPPLE, IS:14151 (PART-2)/2008 OR AMENDED, IF ANY.	1571 NO.	189.00 PER NO.		
2(B)	90MM HDPE BEND WITH COUPLER, IS:14151 (PART-2)/2008 OR AMENDED, IF ANY.	1571 NO.	146.00 PER NO.		
2(C)	90MM HDPE TEE WITH COUPLER, IS:14151 (PART-2)/2008 OR AMENDED, IF ANY.	3142 NO.	215.00 PER NO.		
2(D)	90MM X 75MM REDUCER WITH COUPLER, IS:14151 (PART-2)/2008 OR AMENDED, IF ANY.	3142 NO.	96.00 PER NO.		
2(E)	90MM HDPE END CAP, IS:14151 (PART-2)/2008 OR AMENDED, IF ANY.	1571 NO.	55.00 PER NO.		
2(F)	75MM HDPE END CAP, IS:14151 (PART-2)/2008 OR AMENDED, IF ANY.	3142 NO.	41.00 PER NO.		
2(G)	75MM HDPE SPRINKLER SADDLES WITH FOOT BATTAN. IS:14151 (PART-2)/2008 OR AMENDED, IF	7855 NO.	150.00 PER NO.		

http://shasanadesh.up.nic.in

	ANY.				
2(H)	SPRINKLER DOUBLE NOZZLES (BRASS), IS: 12232 (PART-1)/1996 WITH LATEST AMENDMENTS, IF ANY.	7855 NO.	275.00 PER NO.		
2(I)	G.I. RISER PIPE (20MM), IS: 1239/1990 WITH LATEST AMENDMENTS, IF ANY.	7855 NO.	76.00 PER NO.		

नोट- 1- कालम-6 में दर्शायी गयी दरों के अतिरिक्त **VAT etc.** तत्समय प्रचलित दरों पर नियमानुसार अलग से देय होगा।

2- उपरोक्त वर्णित एक फिटिंग सेट एवं एसेसरीज में एक अदद 90 एम0एम0 पम्प कनेक्टर निपुल, एक अदद 90 एम0एम0 एचडीपीई बेन्ड कपुलर सहित, 2 अदद 90 एम0एम0 एचडीपीई टी कपुलर सहित, 2 अदद 90 एम0एम0 X 75एम0एम0 रिडयूसर कपुलर सहित, एक अदद 90 एम0एम0 एचडीपीई इण्ड कैप, 2 अदद 75 एम0एम0 एचडीपीई इण्ड कैप, 5 अदद 75 एम0एम0 एचडीपीई स्प्रिकलर सैडिल्स फूट बैटन सहित, 5 अदद स्प्रिकलर डबुल नाजिल्स (ब्रास) तथा 5 अदद 20एम0एम0 जी0आई0 राइजर पाइप होगें।"

शर्ते/प्रतिबन्ध

(1) उपर्युक्त सभी आईटम का क्रय टेण्डर प्रपत्र में उल्लिखित निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त आईटमों का नियमानुसार भुगतान संबंधित योजना में उपलब्ध धनराशि से ही किया जायेगा।

(3) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई सम्पूर्ण आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगें।

(4) उघोग विभाग के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0पी0)/92ख् दिनांक 17-10-1994 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत आईटमों का क्रय, सामग्री क्रय नियमों के अनुसार है और प्रस्तावित आईटम उघोग निदेशालय, कानपुर द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नही आता है।

(5) टेण्डर डाक्यूमेन्ट में उल्लिखित सभी प्राविधान फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के वैल्यूम-5, भाग-1 में उल्लिखित नियमों तथा टेण्डर संबंधी अन्य नियमों के अन्तर्गत है। क्रय समिति का गठन उघोग विभाग के शासनादेश के अनुकूल है तथा क्रय हेतु वांछित प्रर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अक्षरश: एवं कडाई से अनुपालन सुनिश्चित हो, यह जिम्मेदारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई की स्वंय की होगी।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

सं0-6183(1)/62-2-2013,तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, उघोग विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- सचिव, लघु उघोग अनुभाग'7, उ0प्र0 शासन।
4- उघोग निदेशक, (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0 प्र0 कानपुर।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in